न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 88 / 2025 राजस्व वाद

01. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री बालूदास जी बैरागी आयु वयस्क निवासी— रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री श्री बालूदास जी बैरागी आयु वयस्क निवासी— रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88, 89,92—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीगण
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

दिनांक— 10.09.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89,92—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 33 तैंतीस रकबा 3.5536 हैक्टयर, आराजी नम्बर 41 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 03 तीन रकबा 3.9836 हैक्टयर भूमि स्थित है।वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वादीगण व वादीगण के भाई भेरूदास पुत्र श्री बालूदास व माता श्रीमती कंकू देवी पत्नी श्री बालूदास व अन्य के नाम पर दर्ज है। जिसमे भैरूदास का 1/20 हक हिस्सा व कंक देवी का 1/20 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादीगण के भाई भैरूदास जो कि करीब 45 वर्षो से घर व गांव से लापता है, जिनकी काफी तलाश करने पर भी उनका कोइ पता नही लग पाया है व विगत 45 वर्षो मे किसी ने भी भैरूदास को नही देखा है व न ही जीवित होने के बारे मे सुना है, जिससे संभवतः उनका देहान्त हो जाना उपधारित होता है। कानूनन कोई व्यक्ति 07 वर्ष से अधिक समय से अपनी शकुनत व परिवार से लापता है तो वह उपधारणा की जाती है कि वह जीवित नही रहा है। चूंकि भैरूदास जी 45 वर्षो से हमारे घर व शकुनत से लापता हे और वे इतने समय से लोटकर घर व गांव मे नही आये व न ही भैरूदास जी के बारे मे कई सुना व देखा है, जिससे उपधारणा की जाना लाजमी हो गया है कि भैरूदास जी की सिविल मृत्यु हो चुकी है। भेरूदास जी के नाम पर द भूमि पर वादीगण ही काबिज हो आज पर्यन्त उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व वादीगण के अला भैरू दास के कोई वारीस नही है, क्योकि भैरूदास जी अविवाहित थे। वादीगण की माता कंकू देवी का देहान्त हो चुका है, उनके भी विधिक वारीस वादीगण ही हैं इसके अलावा अन्य कोई वारीस व उत्तराधिक नही है। उक्त आराजियात भैरूदास जी व कंकू देवी के नाम पर अंकित होने वादीगण के खाते अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे इस आशय की घोषणात्मक डिकी पारित किया ज आवश्यक है कि वादीगण भैरूदास जी व कंकू देवी के हक हिस्से की उक्त आराजियात की खाते काश्तकार है एवं इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा भैरूदास व कंकू देवी का नाम विलेपित कर उनके बजाय वाद का नाम प्रतिस्थापित कराया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादी को कई मर्तबा उक्त आराजि वादीगाण के नाम पर अंकित करने हेतु कहा लेकिन वो टालमटोल करते रहे, दिनांक 02 दो अप्रेल 202 हजार पच्चीस को कहने पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 33 तैतीस रकबा 3.5536 हैक्टयर, आराजी नम्बर 41 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 03 तीन रकबा 3.9836 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार भैरूदास पुत्र श्री बालूदास, कंकू देवी पत्नी श्री बालूदास का नाम विलोपित करा, वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित कराया जावे तदनुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एव आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी के द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश की गयी, वादीगण द्वारा प्रकरण मे दस्तावेजात पेश किये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात मे खातेदार भैरूदास पुत्र श्री बालूदास जो कि विगत 45 वर्षो से लापता होने व उनके जीवित होने बावत कोई सूचना नही होने 07 वर्ष तक उनके जीवित नही होने के बारे नही सुना जाने से उनकी मृत्यु मानकर व अविवाहित होने से वादीगण उनके वारीसान होने व खातेदार कंकू देवी पत्नी श्री बालूदास का भी निधन हो जाने से खातेदार कंकू के वादीगण विधिक वारीस होने से खातेदारान भैरूदास पुत्र श्री बालूदास व कंकू देवी पत्नी श्री बालूदास का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम पर भूमि दर्ज करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य का अवलोकन किया गया, खातेदार भैरूदास जो कि विगत 45 वर्षो से लापता होने से उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी कानून मे उपधारणा है व खातेदार कंकू का भी देहान्त हो जाने व उसके विधिक वारीसान वादीगण ही है। इस कारण खातेदार भैरूदास पुत्र श्री बालूदास, कंकू देवी पत्नी श्री बालूदास का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। यत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 33 तैतीस रकबा 3.5536 हैक्टयर, आराजी नम्बर 41 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 03 तीन रकबा 3.9836 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार भैरूदास पुत्र श्री बालूदास, कंकू देवी पत्नी श्री बालूदास का नाम विलोपित करा वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

मूल वाद मे डिक्री -
(आदेश 20 नियम 6-7 जा०दी०)

पीठासीन अधिकारी - जोगेन्द्र सिंह आर ए एस
पीठासीन अधिकारी जोगेन्द्र सिंह आर ए एस
मुकदमा नम्बर [illegible] / 2025 राजस्व वाद

01 श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री बालूदास जी बैरागी आयु वयस्क निवासी- रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02 श्रीमती प्रेम देवी पुत्री श्री बालूदास जी बैरागी आयु वयस्क निवासी- रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — वादीगण

बनाम

01 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रतिवादी

<u>वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 10.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्च लेखों प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 33 तैतीस रकबा 3.5536 हैक्टयर, आराजी नम्बर 41 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 03 तीन रकबा 3.9836 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार भैरूदास पुत्र श्री बालूदास, कंकू देवी पत्नी श्री बालूदास का नाम विलोपित करा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

यह डिक्री आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)